राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : प. 10(2)सा.प्र.वि./6/2022–0581 जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन "संशोधन" नियम, 2024 है।
   (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 में संशोधन : राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के विद्यमान नियम 14–ए को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :– "14–ए लम्बित प्रकरणों पर निर्णय हेतु समिति :–इन नियमों के अधीन लम्बित प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु एक समिति निम्नानुसार होगी:–

1.	श्री जोगाराम पटेल, मंत्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
4.	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीतू राजेश्वर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव (जेएस), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्रीगण, राजस्थान।
4. समस्त निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव,
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
8. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में किया जाकर प्रति अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करें।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref
10635396

Signature valid
Digitally signed by [illegible]u Rajeshwar
Designation: [illegible]
Date: 2024.0[illegible].09:54 IST
Reason: Appro[illegible]

Room No. 1123, Main Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan,In[illegible]05
Phone Number-0141 2227874 (JS GAD)
Email Address jsgad@rajasthan.gov.in & asgad6@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner